

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] No. 68] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 6, 2018/माघ 17, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 6, 2018/MAGHA 17, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2018

सं. 25 / 2018-सीमाशुल्क

सा.का.िन. 147(अ).—केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 0713 20 00 के अधीन आने वाले मालों पर उद्ग्रहणीय आयात शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है।

अत:, अब, केंद्र सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के खंड II में, अध्याय **7** में, टैरिफ मद **0713 20 00**, के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, **"40%"** प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. 354/368/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

717 GI/2018 (1)

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2018

No. 25/2018-Customs

G.S.R. 147(E).—Whereas the Central Government on being satisfied that the import duty leviable on goods falling under heading 0713 20 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), should be increased and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8A of the said Customs Tariff Act, the Central Government, hereby directs that the First Schedule to the said Customs Tariff Act, shall be amended in the following manner, namely:—

In the First Schedule to the said Customs Tariff Act, in Section II, in Chapter 7, against tariff items 0713 20 00, for the entry in column (4), the entry "40%" shall be substituted.

[F. No. 354/368/2017-TRU] MOHIT TEWARI, Under Secy.